

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), नई दिल्ली-110002

सेवा में,

विषय: ड्रैजर्ट कूलरों, वाटर कूलरों एवं एयर कंडीशनरों के वार्षिक (वर्ष 2022-23) रखरखाव अनुबन्ध के लिए मोहर बन्ध निविदायें आमंत्रित करने हेतु ।

महोदय,

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास) एवं कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति), नई दिल्ली के द्वारा **01 अप्रैल 2022** से **30 सितम्बर 2022** (06 माह) तक की अवधि के लिए ड्रैजर्ट कूलरों (लगभग 22/0) के रखरखाव एवं उनमें पानी भरने, एयर कंडीशनरों (लगभग 111/35) एवं वाटर कूलरों (लगभग 05/02) की सर्विस एवं रखरखाव का अनुबन्ध दिया जाना है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरों की मोहरबन्ध निविदा भेजें, जिसमें निम्न विवरण हो:-

1. ड्रैजर्ट कूलर:-

(अ) कूलरों के रखरखाव की दर ----- प्रति कूलर छः माह के लिए (पानी भरने और कार्यालय द्वारा स्वीकृत अच्छी गुणवत्ता के पैड सहित)

नोट:- निम्नलिखित के लिए उपरोक्त दरों के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।

- (क) कार्यालय के सभी कूलरों में पानी भरने का कार्य प्रतिदिन दो बार प्रातः 9.00 बजे तक तथा दोपहर में 2.00 बजे तक पूरा हो जाना चाहिए अन्यथा भुगतान के पैसों में अनुपातिक कटौती की जाएगी।
- (ख) पानी भरने के लिए पाईप अनुबन्ध प्राप्त करने वाली फर्म को उपलब्ध करवाने होंगे, तथा उनकी रखरखाव की जिम्मेवारी फर्म की होगी।
- (ग) कार्यालय के कूलरों में पानी भरने तथा उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने के लिए फर्म अपने कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी।
- (घ) कार्यालय के सभी एयर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई की जिम्मेदारी फर्म की होगी तथा मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए सभी कूलरों में मिट्टी का तेल या पेट्रोल भी डालना होगा। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। इस संदर्भ में नगर निगम के निर्देशों का पालन न करने के लिए यदि कोई चालान होता है तो केवल ठेकेदार ही इसके लिये रवयं जिम्मेदार होगा।
- (ङ) अनुबंध के अंत में अथवा कूलरों में पानी के भराव बंद होने पर सभी कूलरों के पैड हटा कर कूड़ाघर में डलवाने होंगे।

304/21-

- (च) यदि किसी दिन पानी भरवाने का कार्य फर्म द्वारा नहीं करवाया गया तो वह कार्य किसी अन्य से करवाया जाएगा तथा इसके एवज में उस का वास्तविक खर्च फर्म को देय बिल में से काट लिया जाएगा।
- (छ) अनुबंध की अवधि के दौरान पांच सही कूलर के पंप व मोटरें कार्यालय के खराब हुए पंप को तुरंत बदलने के लिए अतिरिक्त रखने होंगे।
- (ज) अनुबंध के शुरू एवं अन्त में सभी कूलरों की अंदर व बाहर से अच्छी तरह सफाई करवानी होगी।

(ड्रैजर्ट कूलर के लिए निम्न वस्तुओं के बदलने/लगाने की दर:-

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

- (i) कूलर की पम्प की मरम्मत की दरें (कूलर में फिटिंग सहित):-
- (ii) कूलर की मोटर की मरम्मत की दरें
- (iii) नया पम्प बदलने की दर
- (iv) नई मोटर बदलने की दर
- (v) ग्रिल (प्लास्टिक)
- (vi) तार (3 कोर)
- (vii) प्लग (5 एम्पियर) बैकोलाईट
- (viii) प्लग (15 एम्पियर) बैकोलाईट
- (ix) कन्डेन्सर
- (x) जाली सैट
- (xi) ड्रैजर्ट कूलर का पंखा बदलने की दर
- (xii) ड्रैजर्ट कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जों के नाम सहित)
- (xiii) रुम कूलर के किसी अन्य पुर्जे को बदलने की दर (पुर्जों के नाम सहित)
- (xiv) ड्रैजर्ट कूलर (अन्दर बाहर) पंखा, पंप व कूलर की पानी की टंकी पर रंग कराने की दर (Sand paper द्वारा साफ कर Red oxide (primer) लगाकर अच्छी गुणवत्ता का enamel paint. spray द्वारा)

2. एयर कंडीशनर के लिए

सभी यंत्रों की सफाई (Servicing) तीन बार (अनुबंध के आरंभ, बीच में तथा आखिर में) करना अनिवार्य है।

(अ) रखरखाव

प्रति यंत्र छः माह के लिए

- (i) वातानुकूलित यंत्रों (Window AC) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रेसर

- वातानुकूलित यंत्रों (Window AC) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रेसर के रखरखाव के
- वातानुकूलित यंत्रों (Split AC) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रेसर के रखरखाव के
- (iv) वातानुकूलित यंत्रों (Split AC) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रेसर के रखरखाव के
- (v) वातानुकूलित यंत्रों (split heat & cool AC) के लिए रख-रखाव की दरें बिना कम्प्रेसर के रखरखाव के
- (vi) वातानुकूलित यंत्रों (split heat & cool AC) के लिए रख-रखाव की दरें मय कम्प्रेसर के रखरखाव के

(ब) एयर कंडीशनर के लिए निम्न वस्तुएं बदलने की दर

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

- (i) कम्प्रेसर को बदलने सहित सर्विस की दरें
- (ii) गैस भरने के चार्ज
- (iii) नोब स्विच
- (iv) फिल्टर (प्लास्टिक जाले वाले)
- (v) कम्प्रेसर मरम्मत
- (vi) ग्रिल
- (vii) बॉडी
- (viii) थर्मोस्टेट
- (ix) स्टार्टिंग केपेसिटर
- (x) रनिंग केपेसिटर
- (xi) मेटल टॉप प्लग (ISI)
- (xii) विभिन्न कल पुर्जों को बदलने सहित सर्विस की दरें
- (xiii) बॉडी पर रंग-रोगन करने की दरें
- (xiv) ए.सी.की मोटर की मरम्मत की दरें (ए.सी में फिटिंग सहित):-
- (xv) ए.सी.की नई मोटर बदलने की दरें
- (xvi) पी.सी.बी.
- (xvii) पंखा बदलने के चार्ज
- (xviii) ए.सी से पानी रिसाव
- (xix) वॉल पिन बदलने के चार्ज
- (xx) कन्डेंसर बदलने के चार्ज
- (xx) ए.सी. रिमोट बदलने/नया के चार्ज

3. वाटर कूलर

(अ) रखरखाव के लिए दरें

प्रति वाटर कूलर छः माह के लिए

(ब) वाटर कूलर के लिए विभिन्न कल पुर्जे बदलने के लिए निम्न वस्तुओं की दरें

(अनुबंध के आरंभ में इन वस्तुओं के खराब पाए जाने की स्थिति में)

- (i) कम्प्रेसर बदलने सहित सर्विस की दरें।
- (ii) नल्ल की टॉटी बदलने की दर।

302/1
(iii) रनिग केपेस्टर


(vi) स्टार्टिंग केपेस्टर

(v) मेटल टॉप प्लग (ISI)

विशेष :-

- (i) सभी कूलर, एयरकंडीशनर तथा वाटर कूलर अनुबंध के आरम्भ में चालू हालत में दिए जायेंगे तथा अनुबंध खत्म होने पर चालू हालत में लिए जायेंगे।
- (ii) कार्यालय के सभी वाटर कूलरों की सप्ताह में एक बार सफाई (बाहर से व अन्दर से) की जिम्मेवारी फर्म की होगी। उपरोक्त सम्बन्ध में दिल्ली नगर निगम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का भी पालन करना होगा। इन सब के लिए कार्यालय से अनुबन्ध के अलावा कोई भी अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- (iii) फर्म द्वारा प्रतिदिन दो ए.सी. मैकेनिक नियुक्त करना होगा एवं एक पानी भरने वाले कर्मचारी नियुक्त करना होगा। इसके अतिरिक्त मैकेनिक एवं लड़के जरूरत के हिसाब से देने होंगे।
- (iv) फर्म द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को कूलरों में पानी का भराव कार्यालय द्वारा मना करने पर भी अनुबंध की अवधि (06 माह) तक कार्यालय में ही रखना होगा।
- (v) मुहर बंद निविदाएं, कल्याण अधिकारी/व.ले.प.अधिकारी (कल्याण) को सम्बोधित करते हुए कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (गृह, शिक्षा एवं कौशल विकास), ए.जी.सी.आर. भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली - 110002 को प्रेषित की जानी चाहिए। निविदा दाता अपनी निविदा के साथ पूर्व में किए गए कार्यों के Completion Certificates की प्रतियां भी लगाएं। निविदाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि **07.03.2022, 12.00 बजे तक है। निविदाएं 07.03.2022 को सांय 3.00 बजे खोली जाएगी।**
- (vi) प्रस्तुत कार्य के लिये चुनी गई फर्म को इस कार्यालय में अनुबंध के समय **PAO, AG (Audit), Delhi** के पक्ष में रु. 20,000/- (बीस हजार रुपये) की सावधि जमा (Fixed Deposit) प्रतिभूति राशि (Security Deposit) के रूप में जमा करवानी होगी, अन्यथा अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा।
- (vii) प्रस्तुत कार्य के लिये चुनी गई फर्म की प्रतिभूति राशि (Security Deposit) कार्यालय द्वारा अनुबन्ध के सन्तोषजनक समाप्त होने तक कार्यालय में रखी जायेगी।
- (viii) असन्तोषजनक सर्विस होने की दशा में अनुबन्ध एक सप्ताह के नोटिस पर समाप्त किया जा सकता है तथा फर्म की देय राशि पर विचार नहीं किया जायेगा एवं प्रतिभूति राशि भी जब्त कर ली जायेगी।
- (ix) फर्म के बिलों में से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आयकर की कटौती की जायेगी।
- (x) फर्म अपनी दरें जी.एस.टी.सहित प्रस्तुत करें।
- (xi) कार्यालय द्वारा अनुबंध उसी फर्म को दिया जाएगा जिसकी ड्रैजर्ट कूलर, वाटर कूलर तथा वातानुकूलित यंत्रों के रखरखाव की दरें कुल मिलाकर कम होगी।
- (xii) सभी यंत्र दिनांक **20 मार्च 2022** को चालू हालत में तैयार होने चाहिए।


कल्याण अधिकारी


15/2/22